संख्या-93/2015/2695/26-3-2015-4(59)/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0,लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 4 सितम्बर 2015

विषयः- अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम के सर्वागींण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-बस्ती के प्रस्ताव की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-664/स0क0/विकास/एकीकृत विकास योजना/82/बस्ती/2015-16,, दिनांक-07.08.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अति पिछड़े अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वागींण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत जनपद-बस्ती के विकासखण्ड-रामनगर के 04 ग्रामों में अलग-अलग प्रायोजनाओं पर प्रत्येक कार्यों सहित कुल रूपया-626.13 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये रूपया-200.00 लाख (रूपया दो करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः- (धनराशि लाख रूपये में)

क्र सं	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	आवंटित धनराशि
1	रामनगर	पिपरहिया	सी.सी.रोड़/के.सी.ड्रेन, इन्टरलाकिंग एवं यू-टाइप ड्रेन का निर्माण	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	138.08	50.00
2	रामनगर	नकथर	सी.सी.रोड़/के.सी.ड्रेन, इन्टरलाकिंग एवं यू-टाइप ड्रेन का निर्माण	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	165.43	50.00
3	रामनगर	शंकरपुर	सी.सी.रोड़/के.सी.ड्रेन, इन्टरलाकिंग एवं यू-टाइप ड्रेन का निर्माण	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	161.41	50.0
4	रामनगर	गन्धरियाबुर्जुग	सी.सी.रोड़/के.सी.ड्रेन, इन्टरलाकिंग एवं यू-टाइप ड्रेन का निर्माण	ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग	161.21	50.0
				कुल योग	**626.13**	**200.00**

(1)- प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित आहरण वितरण अधिकारी को किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि निर्माण इकाई के साथ एम0ओ0यू0 (अनुबंध) कराने के उपरान्त ही निर्माण इकाई को वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2)- उपर्युक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद एवं शासन को प्रत्येक माह में उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त स्वीकृतियों से सम्बन्धित धनराशियां व्यय करने से पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दि0 30 मार्च 2015, में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4)- कार्यदायी संस्था द्वारा गठित आगणनों में प्रस्तावित मात्राओं एवं लागत को यथावत मानते हुए स्वीकृति प्रदान की जा रही है। अतएव प्रस्तावित कार्यों का निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया जायेगा। प्रस्तावित कार्यो का पुनरीक्षित आगणन स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था की सक्षम अधिकारी/संबंधित जिलाधिकारी उत्तरदायी होगें।

(5)- स्वीकृत धनराशि का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण उपलब्ध कराने के पश्चात ही अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी। धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(6)- संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न वर्तमान में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7)- स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजायन एवं तकनीकी स्वीकृति के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(8)- उक्त कार्यो हेतु ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग-प्रखण्ड-बस्ती कार्यदायी एजेन्सी होगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-"4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचितजातियों के लिए विशेष घटक योजना 10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा ।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015, में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

संख्या-92/2015/2695(1)/26-3-2015 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बस्ती।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड-बस्ती।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. समाज कल्याण,बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
7. गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in